आर.सी.एम.एस. नम्बर 2017/00168

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन

अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 100/2017 (फूली देवी आदि बनाम सोहनसिंह वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 16.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.07.2022 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश कमांक भू0अ0/2022/1602 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिकी दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 16.08.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट) 16/8

उपखण्ड अधिकारी,

मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 100 / 2017

1. फुलीदेवी उम्र 75 वर्ष पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. सुन्दर देवी उम्र 55 वर्ष पुत्री भगवानाराम पत्नी मोहरसिंह जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. ज्यानी देवी उम्र 55 पुत्री भगवानाराम पत्नी शीशराम जाति जाट निवासी कैरली बास तहसील राजगढ़ जिला चुरू
4. रूकमा उम्र 51 वर्ष पुत्री भगवानाराम पत्नी बलबीर जाति जाट निवासी कैरली बास जिला झुझुनू
5. बिमला उम्र 48 वर्ष पुत्री भगवानाराम पत्नी शुभकरण जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. सत्यवीर उम्र 45 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी रामपुरा (गुगन की ढाणी) तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
7. कल्याण उम्र 40 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी रामपुरा (गुगन की ढाणी) तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
8. बसन्ती देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी होशियार सिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
9. कुलदीप उम्र 23 वर्ष पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
10. अंकित उम्र 18 वर्ष पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
11. महावीर उम्र 52 वर्ष पुत्र झुथांराम जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
12. कपिल उम्र 30 वर्ष पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
13. सज्जन उम्र 27 वर्ष पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. सोहनसिंह उम्र 71 वर्ष दत्तक पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील प्रतिवादी – श्री अमित कुमार नूनिया

दावा बाबत धोषणार्थ, विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 11.07.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम गुगन की ढ़ाणी पटवार हल्का ककड़ेऊ कलां की सरहद में भूमि हाल ख0न0 6 रकबा 0.05 है0, ख0न0 7 रकबा 5.58 है0, ख0न0 12 रकबा 1.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.67 है0 भूमि अवस्थित है जो वादीगण संयुक्त काश्तकारी की भूमि है। जिस पर सभी पक्षकारान अपनी सहुलियत से काबित काश्त है। कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूम पर कभी किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा। जमाबन्दी सम्वत 2012 और सम्वत 2014–17, 2018–21 में बतौर काश्तकार वादीगण के पूर्वजो का नाम दर्ज है तथा मिसल हकीयत सम्वत 1999 में भी वादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज इस प्रकार वादीगण को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। परन्तु वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया जो वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्व होने से काबिले दुरूस्ती योग्य है। अंत में वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के ख0न0 7 रकबा 5.58 है0 भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 7 को 1/4 हिस्से का, वादीगण संख्या 8 लगायत 10 को 1/4 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 11 लगायत 13 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे इसी प्रकार ख0न0 6 रकबा 0.05 है0 का वादीगण 11 लगायत 13 तथा ख0न0 12 रकबा 1.04 है0 भूमि के 1/2 हिस्से का वादीगण 1 लगायत 7 व शेष 1/2 हिस्से का वादीगण 8 लगायत 10 को पैतृक कब्जा काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि से अलग कर खाता विभाजन कर खाता खतौनी पास बुक जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमती से न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण द्वारा वादग्रस्त में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर अपना नाम दर्ज कर अलग विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 वादपत्र के अनुरूप वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के हिस्से

(मा... जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

9/22

अनुसार पैतृक कब्जा काश्त के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने में सहमत है। दोनो पक्षकार ने सहमती बाबत राजीनामा न्यायालय में पेश किया है। जिसके अनुसार सभी पक्षकारान के हिस्सो की धोषणा तथा तदनुसार विभाजन किया जाना है। अतः लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम गुगन की ढ़ाणी पटवार हल्का ककड़ेऊ कलां स्थित भूमि ख0न0 6 रकबा 0.05 है0, ख0न0 7 रकबा 5.58 है0 में वादी संख्या 1 लगायत 7 को 1/4 हिस्से का, वादीगण संख्या 8 लगायत 10 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 13 को 1/2 हिस्से का तथा भूमि ख0न0 12 रकबा 1.04 है0 का मुताबिक कब्जा काश्त वादीगण 1 लगायत 7 को 1/2 हिस्से का व शेष 1/2 हिस्से का वादीगण 8 लगायत 10 को पैतृक कब्जा काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर